

FORM NO. III

फर्द अहकाम (नियम 26)

उपनिर्देशित
नियम
पक्षीय न्यायिकी
कोर्ट
बदल
बदल
पत्रावली

दालत	मुकाम
	बनाम
मुकदमा	नं.
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	नम अह हुक्म में ज

21/1/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपरिष्ठ।
पत्रावली सुव्युत्तर मांगिवाही में दिनांक 28/1/25 को पेश
हो।
[Signature]
21/01/25

28/1/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपरिष्ठ।
पत्रावली सुव्युत्तर मांगिवाही में दिनांक 31/1/25
को पेश हो।
[Signature]
28/01/25

31/1/25 पत्रावली पेश हुई/वकील उभय पक्ष एवं
गवाह श्री.....
उपस्थित.....
पोस्टा: रजकीय
कार्य में उपस्थित
अतः पत्रावली पूर्वदिशानुसार दि. 30/1/25
को पेश हो।
[Signature]

30/1/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षों उपरिष्ठ विपक्षी अधिलक्ष
बापजूद सूचना के उपरिष्ठ नहीं होने से विपक्षी पक्षों
के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का अद्विष्ट किया जाता
है। वकील पक्षों को एक पक्षीय बख्त को सूना गया
वकील पक्षों ने बख्त में जवाब दिया गया कि सुनी
में दिनांक 21/01/2016 को प्रस्तावित किये गये अन्वयायी सिद्धांतों
के स्वयंसे अद्विष्ट को श्रद्धावाह के मिरासण एक कन्फर्म किया
जावे। वकील पक्षों को एक पक्षीय बख्त सूना जावे
के प्रस्ताव पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन
प्रस्ताव पाया गया कि सुनी में प्रस्तावित किये गये अद्विष्ट
को कन्फर्म किया जाना उचित पाया गया है। अतः
मौजा मिल्हैट को अन्वयायी नम्बर 359 368 के सिद्धांतों
की श्रद्धावाह पर अवकाश कर्तव्य मिरासण कार्य
नहीं करने हेतु श्रद्धावाह के मिरासण देने एक विपक्षीय
को पालन किया जाता है। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर
लिखित अन्वय सूनाया गया पत्रावली पेश हो।
अतः नम्बर से भंग है।
[Signature]
30/01/25



हुक्म
नियम - चित्तोजय